हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

37 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक

29–01–05

भाग–(अ)
मद सं0–37(1)
विषयः विगत 35वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–6–2003 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्रमांक	विषय	निर्णय	अनुपालन
34.01(1)	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा ।	निर्णय हुआ कि दक्ष मन्दिर के सामने दक्षेश्वरद्वीप कनखल में आई0एस0बी0टी0बनाने हेतु वन विभाग से 200 एकड़ भूमि हस्तान्तरित कराने के लिए जिलाधिकारी, हरिद्वार अपने स्तर से प्रयास करेगें तथा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बस अड्डा बनाने हेतु उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव तैयार कर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे ।	दक्षेश्वरद्वीप कनखल में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रस्तावित आई.एस.बी.टी.हेतु स्थान परिवर्तन पर विचार किया गया। शासनादेश सं0–491 दि0 24–6–04 के अनुसार ऋषिकुल की 5 हेक्टेयर भूमि पर आई0एस0बी0टी0 के निर्माण हेतु शासनद्वारा निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–699 दि0 12–7–2004 एवं पत्र सं0–1891 दि0 10–11–2004 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून, सचिव, आवास एवं शहरी विकास, सचिव, चिकित्सा को लिखा जा चुका है। प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नही है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–1–2005 का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 37वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–1–2005 को अध्यक्ष/ आयुक्त गढ़वाल मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थिति

1–	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून	अध्यक्ष
2–	श्री नवीन चन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3–	श्री आर0के0 सुधांशु, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4–	श्री के0सी0 मिश्रा, अपर सचिव, वित्त	पदेन सदस्य
5–	श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
6–	श्री सतपाल ब्रहमचारी, अध्यक्ष, न0पा0परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
7–	श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, न0पा0परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
8–	श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनि की रेती	पदेन सदस्य
9–	श्री जुगल किशोर पन्त, प्रशासक, नगर पंचायत, रानीपुर	पदेन सदस्य
10–	महन्त महेन्द्र सिंह, हरिद्वार	गैर सरकारी सदस्य
11–	श्री अशोक सेठी, हरिद्वार	गैर सरकारी सदस्य
12–	श्री सुनील प्रभाकर, ऋषिकेश	गैर सरकारी सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के सचिव श्री डी0सेन्थिल पान्डियन द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा नवागन्तुक गैर सरकारी सदस्यों का परिचय देते हुये अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

सचिव

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष/ आयुक्त

34.01(2)	अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण ।	निर्णय हुआ कि अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण में जो सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की जॉच आख्या दि0 10–01–2003 में प्रथम दृष्टया जो अधिकारी /कर्मचारी दोषी है उनके विरूद्ध विभागीय /अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। जो अधिकारी /कर्मचारी उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित हो गये है और उन्होंने जॉच में सहयोग नही दिया है उनके विरूद्ध प्रमुख सचिव, आवास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को आयुक्त /अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र भेजा जाये ।	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय /अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सचिव, आवास अनुभाग, उ0प्र0को पत्र सं0–1679 दिनांक 06 सितम्बर, 2003 के द्वारा लिखा जा चुका है। जिसका अनुस्मारक पत्र सं0–4197 दि0 15–01–2005 को भी भेजा जा चुका है। अनाधिकृत कालोनियों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
34.01(3)	स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका है ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

मद संख्या–37.01 विगत 35वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–6–2003 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/ अनुपालन के संबंध में उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

34.01(1) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा स्थापना

ऋषिकुल में बस अड्डा स्थापित किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि यदि ऋषिकुल की भूमि के अतिरिक्त अन्यत्र बस अड्डा स्थापित किया जाता है तो ऋषिकुल की वर्तमान में पार्किंग के लिये उपयोग में आने वाली भूमि का उपयोग यथावत बना रहेगा।

34.01(2) अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

इस संबंध में बैठक के मद संख्या 37(6) पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया। प्रकरण ऐजण्डा मद से समाप्त किया गया ।

34.01(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में गंगा नदी तट से दोनों ओर 200 मीटर तक के प्रकरण

इस संबंध में निर्णय हुआ कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिन मुख्य अवैध निर्माणकर्ताओं की सूची प्रकाशित की जा चुकी है उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 1 माह में सुनिश्चित की जाय।

34.01(5) ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि अभी प्रस्तावित स्थल की भूमि का वन विभाग से हस्तांतरण नहीं हो सका है। निर्णय हुआ कि हस्तांतरण के उपरान्त शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष/आयुक्त

34.01(4)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में गंगा नदी तट से दोनों ओर 200 मी0 तक के प्रकरण।	निर्णय हुआ कि जो 465 मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है उनमें से प्रथम वार 20–25 मामले प्राथमिकता पर जो रोडबाइडिनिंग से प्रभावित है या टिन शेड आदि के बने है। उनको चुनकर ध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। शेष इसी आधार पर आगे कार्यवाही जारी रहें ।	निर्णय के अनुपालन में 465 ध्वस्तीकरण आदेश में से 25 मामले ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु चिन्हित कर लिये गये है। जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। रोड वाईडनिग में आने वाली भूमि का सीमांकन होना है। तत्पश्चात रोड वाईडनिग से प्रभावित निर्माणों को चिन्हित किया जायेगा।
34.03(5)	ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर ।	इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगरपालिका ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रस्ताव को पास कर दिया जाये। निर्णय हुआ कि समिति की रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी देहरादून के मांगपत्र आने के बाद वॉछित धनराशि रू0 52.00 लाख जमा करा दी जाय ।	नगरपालिका ऋषिकेश द्वारा वन विभाग से 5 एकड़ आरक्षित भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
34.03(6)	हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी. डी.ए.पैटर्न) के सम्बन्ध में ।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

34.03(7)	प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण ।	प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जो लगभग रू0 30.00 लाख की अनिस्तारित सम्पत्तियाँ अवशेष है उन्हें शीघ्र ही निस्तारित किया जाये ।	वर्तमान में मुख्य रूप से एक आश्रम भूखण्ड, एक निम्न आय वर्ग का भवन, 5 दुर्बल आय वर्ग के भवन तथा लगभग 21 दकानों के भूखण्ड /दुकानें आदि रिक्त है। जिसके विक्रय हेतु पुनः दि0 16–8–2004 से दि0 25–10–2004 तक पंजीकरण खोला गया था । इस पंजीकरण में केवल एक आवेदन शिवलोक आवासीय योजना में रिक्त दुर्बल आय वर्ग के भवन हेतु तथा एक आवेदन व्यावसायिक /दुकान हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सम्पत्तियों के मूल्यांकन में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज जोडे जाने के कारण सम्पत्तियों की लागत बाजार मूल्यों से अधिक हो गयी है। इसकारण इन सम्पत्तियों की मांग नही हो रही है। अतः सम्पत्ति के उचित निस्तारण हेतु इस सम्बन्ध में अलग से एक प्रस्ताव एजेण्डा में प्रस्तुत किया गया है।

34.03(7) प्राधिकरण की योजनाओं की अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण

बैठक के मद संख्या 37(4) पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

34.03 (4) भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि भल्ला कालेज मैदान में कुम्भ/ अर्द्धकुम्भ मेलों में उपयोग किया जाता रहा है। अतः इस मैदान के पास ही नगरपालिका की अन्य भूमि जिसे कृषि फार्म के नाम से कहा जाता है पर स्पोर्टस काम्पालेक्स का निर्माण उचित रहेगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर निर्माण हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर फेजेज में कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय ताकि मेला पार्किंग के लिये भूमि उपलब्ध रहे।

34.14.01 बैकट हाल

निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जाय। अग्नि शमन के अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया ।

34.14.02 हाईमास्ट का हस्तांतरण

हाईमास्टों का हस्तांतरण किया जा चुका है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

35.05 गंगा द्वारे महातीर्थे नामक पुस्तक हरिद्वार की अवशेष 3500 पुस्तकों का निस्तारण

निर्णय लिया गया कि पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग व नगर निकाय के पुस्तकालयों हेतु निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायं। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष/ आयुक्त

34.03(8)	आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0–552 /99–2000 के शमन के सम्बन्ध में।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
34.03(9)	दूरसंचार केन्द्र देहरादून के विचाराधीन वाद सं0–नो0 /ऋषि/6 /96–97 एवं ऋषि /21/94–95 के शमन के सम्बन्ध में।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
34.03(10)	औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एव अन्य शुल्क निगम से लिया जाना।	निर्णय हुआ कि शासन स्तर पर कार्यवाही होने के पश्चात अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।	इस प्रकरण में निगम द्वारा आवास योजना के तलपट मानचित्र हेतु प्राधिकरण को देय शुल्क 62,84,950.00 को समाप्त करने हेतु सचिव, आवास उत्तरांचल देहरादून से अनुरोध किया गया । तदोपरान्त शासन द्वारा प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में प्राधिकरण से आख्या मांगी गयी थी। प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0–1091 दि0 22–10–2001 के द्वारा पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया गया था। अभी तक शासन से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राधिकरण को प्राप्त नही हुये हैं। शासन के निर्देश प्राप्ति उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

34.03(11)	हर की पैडी पर लिफ्ट योजना ।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
34.03(12)	प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा लेखानुभाग को कम्प्यूटरीकरण कराया जाना ।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

34.03(13)	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से 1.डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण ।	अध्यक्ष /आयुक्त महोदय ने निर्देश दिये गये कि डामकोठी से पुल जटवाड़ा तक नहर की पटरी का सर्वे करा लिया जाये तथा इस पटरी का सौन्दर्यीकरण कराया जाये एवं आर्नामेन्टल प्लान्ट्स लगवाये जाये एवं अधिक से अधिक जनसुविधायें उपलब्ध करायी जाये। सड़क चौड़ी करायी जाये तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग से भी सहयोग लिया जाये ।	निर्णय के अनुपालन में निम्नवत विकास /सौन्दर्यीकरण के कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये गये है :– 1. प्रकाश व्यवस्था 2. फेन्सिंग कार्य 3. बैन्च लगाने का कार्य 4. जंगल सफाई 5. वृक्षारोपण का कार्य प्रकाश व्यवस्था को छोड़कर शेष कार्यो का रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त 4 फुट चौड़ा खडंजा का कार्य किया जा रहा है एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य हाईवे का सीमांकन के उपरान्त किया जाना सम्भव होगा।
	2.पुराने विकसित शहर में सीवर लाईन बिछाने का कार्य ।	निर्णयानुसार कार्य गंगा प्रदूषण द्वारा कराया जा रहा है। 35 वीं बोर्ड बैठक मे प्रकरणं एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका है ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
	3.विष्णुघाट पर सुलभ शौचालय।	अनुपालन उपरान्त 35वीं बोर्ड बैठक में प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

34.06	भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलैक्स ।	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अनुरोध किया गया कि स्पोर्टस काम्पलेक्स से जो आय हो उसका हिस्सा नगरपालिका को भी दिया जाये। क्योंकि निर्माणाधीन स्पोर्टस काम्पलेक्स की भूमि नगर पालिका की ही है। इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावित स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण कराया जाये। निर्माण उपरान्त रख–रखाव का कार्य हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये । रख–रखाव व्यय को घटाने के पश्चात इस काम्पलेक्स से हुई आय को आधा–आधा हरिद्वार विकास प्राधिकरण तथा नगरपालिका परिषद हरिद्वार में वितरित किया जायेगा । स्थिति से आवास एवं शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचित कर दिया जाये । आंई0आई0टी0रूड़की से जियो–टेक्निकल इन्वेशटीगेशन का कार्य कराने हेतु 1.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।	स्वीकृति के क्रम में जियो–टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन हेतु आई.आई.टी.रूड़की को रू0 1.52 लाख का भुगतान किया जा चुका है। आई.आई.टी. रूड़की से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित आर्कीटेक्ट मै0 भार्गव एण्ड एसो0 नई दिल्ली को इस प्रोजेक्ट की विस्तृत ड्राइंग, डिजाईन एवं आगणन आदि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा दि0 19–1–05 को लिखा गया है। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि लगभग 3 वर्षो पूर्व इस प्रोजेक्ट की कुल लागत रू0 4.00 करोड़ आंकलित की गयी थी ओर वर्तमान में उक्त लागत कम से कम 7.00 करोड़ आने की सम्भावना है। इस कार्य हेतु प्राधिकरण के पास मात्ररू0 13. 75 लाख की धनराशि तत्कालीन विधायक द्वारा विधायक निधि से दी गयी राशि उपलब्ध है। अतः धन व्यवस्था के अतिरिक्त इस बिन्दु पर भी निर्देश अपेक्षित है कि इस कार्य को फेसेज में उपलब्ध राशि के अनुसार कराया जाय अथवा एक साथ पूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

34.14	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 1. बैंकेट हाल ।	निर्णय हुआ कि जो पुराने बैंकट हाल है उन्हें पार्किंग एवं फायर सर्विस आदि की औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के लिये प्राथमिकता पर सूचित किया जाये तथा नये मानचित्र शासन की गाइडलाईन के आधार पर ही स्वीकृत किये जाये ।	निर्णय के अनुपालन में तत्समय पुराने 6 बैंकट हालों में फायर एवं पार्किंग की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये थे जिसमें से 3 बैंकट हाल द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी थी शेष 3 के विरूद्ध कार्यालय में वाद विचाराधीन है। वर्तमान में अग्निशमन अधिकारी से समस्त बैंकट हालों की जॉच आख्या मांगी गई थी उनके द्वारा कुल 12 बैंकट हालों की निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा नये बैंकट हालों में मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही शासन की गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है।
	2. हरिद्वार में 8 हाईमास्ट लाइटों का हस्तान्तरण ।	निर्णय हुआ कि 8 में से 2 हाईमास्ट जो नगरपालिका को हस्तान्तरित नही की गई है उन्हें एक माह के अन्दर ठीक कराकर नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को हस्तान्तरित करा दी जाये। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद ऋषिकेश के अनुरोध पर ऋषिकेश की खराब पड़ी एक हाईमास्ट लाईट को भी ठीक करा दिया जाये ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं0–1003 दि0 9–7–2003 के द्वारा हर की पैड़ी क्षेत्र की 2 तथा देवपुरा तिराहे की एक हाईमास्ट लाईट नगरपालिका परिषद को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

35.02	ललताराव पुल बाल्मिकी चौक पर अनिरूद्ध झा द्वारा प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन विधि से आयोजित बैठक की बैठक दि0 22–6–2002 की कार्यवाही की पुष्टि।	पुष्टि उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 35वीं बोर्ड बैठक में एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका है ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
35.03	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2002–2003 के पुनरीक्षित /वास्तविक एवं वर्ष 2003–2004 के प्रस्तावित आय–व्ययक ।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वर्ष 2002–2003 का पुनरीक्षित /वास्तविक आय–व्ययक तथा वर्ष 2003–2004 का कुल आय रू0 3400.50 लाख तथा कुल व्यय रू0 3363.75 लाख का प्रस्तावित आय–व्ययक सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । आय में वृद्धि हेतु विशेषकर शमन शुल्क की वसूली में गति लाने हेतु क्षेत्रवार हर 15 दिन में समीक्षा की जाये ।	स्वीकृति के अनुपालन में स्वीकृत आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अन्तर्गत व्यय /भुगतान किये गये। विस्तृत विवरण वित्तीय वर्ष 2004–2005 के प्रस्तावित आय–व्ययक में यथा स्थान उपलब्ध है। शमन शुल्क की आय में वृद्धि हेतु निरन्तर समीक्षा बैठके की गई प्राप्ति आय का विवरण बजट प्रपत्रों में उपलब्ध है।
35.04	हरिद्वार महायोजना से सम्बन्धित भौतिक सर्वेक्षण के कार्य में बढे क्षेत्र की कार्यानुमोदन ।	स्वीकृति उपरान्त प्रकरण सर्वसम्मति से एजेण्डा मद से समाप्त किया गया ।	कार्यवाही अपेक्षित नही है।

35.05	गंगाद्वारे महातीर्थ नामक पुस्तक (हरिद्वार) की अवशेष 3500 पुस्तकों का निस्तारण ।	निर्णय हुआ कि गंगाद्वारे नामक पुस्तकें लागत मूल्य रू. 300.00 प्रति पुस्तक पर्यटन विभाग को दे दी जाये। इस हेतु सचिव पर्यटन विभाग को पत्र प्रेषित किया जाय ।	निर्णय के अनुपालन दि0 30-8-03 को पत्र भेजा गया उक्त के सम्बन्ध में इस विभाग को कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है । पुस्तकों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता हो रही है। अतः निस्तारण हेतु उचित होगा कि 500 पुस्तकों को रोकते हुये शेष 3000 पुस्तकें पर्यटन विभाग अथवा शिक्षा विभाग को इस आशय से निशुल्क उपलब्ध करायी जाये कि वे अपने स्तर से पर्यटन स्थलों तथा सार्वजनिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के पुस्तकालयों हेतु उपयोगार्थ उपलब्ध करायें ।
35.06	गंगा तट पर निर्मित /प्रस्तावित भवनों में आर्कीटैक्चुरल कन्ट्रोल के अन्तर्गत यूनीफार्म कलर स्कीम का लागू किया जाना ।	हरिद्वार व ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा के किनारे दोनो तरफ यूनीफार्म कलर किये जाने के उददेश्य से तीन रंग जोगिया, कैमल, हल्का गुलाबी का प्रस्ताव किया गया जिसमें से विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जोगिया "रंग" गंगा के किनारे दोनो तरफ कराने के लिये यूनीफार्म कलर योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।	निर्णय के अनुपालन में अर्द्धकुम्भ मेला-2004 के दौरान कुछ सरकारी भवनों तथा गैर सरकारी, घाटों व पुलों को जोगिया रंग से रंगवाया गया।

35.06 **गंगा तट पर निर्मित/ प्रस्तावित भवनों में आर्कीटेक्चुरल कन्ट्रोल के अन्तर्गत यूनीफार्म कलर स्कीम का लागू किया जाना।**

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा इस मद में रू0 8.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-37(2) विगत 36वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20-9-2004 परिचालन विधि द्वारा स्वीकृत कराये गये प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003-04 के पुनरीक्षित/ वास्तविक आय व्ययक तथा वर्ष 2004-05 के प्रस्तावित आय व्ययक की कार्यवाही की पुष्टि।

वर्ष 2003-04 के बजट के सम्बन्ध में श्री के0सी0 मिश्रा, अपर सचिव, वित्त द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी दी गयी :-

1. प्रस्तावित बजट में कुछ मदों में अत्यधिक आय प्रस्तावित की गयी है जबकि प्राप्तियॉं अब तक शून्य रही है। जैसे हडको से ऋण रू0 1800.00 लाख तथा नयी योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय से रू0-800.00 लाख। उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण हित में प्राधिकरण के पास उपलब्ध राशि को ही उपयोग में लायी गयी जिस कारण अभी तक ऋण की आवश्यकता नही हुई है। नयी योजनाओं में प्राधिकरण को भूमि का कब्जा देरी से मिलने के कारण अभी तक सम्पत्ति के विक्रय हेतु पंजीकरण प्रारम्भ नही हो सका । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष/आयुक्त

35.07	मैसर्स सागर फिल्मस् प्रा0 लि0 द्वारा हरिद्वार में प्रस्तावित गंगाधाम परियोजना के सम्बन्ध में।	प्रकरण में बोर्ड की कोई आवश्यकता नही है अतः प्रकरण 35वीं बोर्ड बैठक में एजेण्डा मद से समाप्त किया जा चुका है ।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
35.08	गढवाल मण्डल विकोस निगम के पर्यटक आवास गृह के शमन शुल्क में ब्याज की छूट ।	निर्णय हुआ कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को ब्याज की छूट न दी जाय तथा रू0 21973.00 की धनराशि ब्याज सहित जमा करायी जाये। यदि उनके द्वारा भुगतान न किया जाये तो आर0सी0भेज कर वसूली की जाये।	निर्णय के अनुपालन में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा शमन शुल्क रू0 21973.00 पर ब्याज रू0 14448.00 रसीद सं0–374 /25 दि0 17–09–2003 को प्राधिकरण कोष में जमा कर दिया गया है।

35.09	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अनुरोध किया गया कि 800 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति में छूट प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह मामला शासन स्तर का है तथा गंगा जी के तथा कुम्भ मेला भूमि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के हिसाब से इस पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रत्येक माह हरिद्वार व ऋषिकेश में विशेष कैम्प लगाये जाय जिसमें सम्बन्धित विभागों को भी बुलाया जाय इन विशेष कैम्पों में उक्त मानचित्रों का निस्तारण किया जाय ।	निर्णय के अनुपालन में समय–समय पर हरिद्वार एवं ऋषिकेश में शिविर लगाये गये परन्तु इन शिविरों में कोई भी मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त नही हुये ।

मद सं0–37(2)

विषयः – विगत 36 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.09.2004 परिचालन विधि द्वारा स्वीकृत कराये गये प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003–2004 के पुनरीक्षित /वास्तविक आय–व्ययक तथा वर्ष 2004–2005 के प्रस्तावित आय–व्ययक की की कार्यवाही की पुष्टि ।

तत्कालीन मेलाधिकारी /उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के मेला व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने के कारण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित नही हो पायी थी, अति आवश्यकता की दृष्टिगत प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003–2004 का पुनरीक्षित /वास्तविक आय–व्ययक परिचालन विधि द्वारा प्राधिकरण बोर्ड से कुल आय रू0 3247.50 लाख तथा कुल व्यय रू0 3225.00 लाख का माह अनुमोदित कराया गया था । उक्त के विरूद्ध अध्यतन प्रगति विवरण हेतु मदवार विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्धि प्रतिशत में
(अ)	राजस्व आय					
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियां	61.60	84.08	25.00	28.19	112.76
3	मानचित्र शुल्क	14.44	16.50	25.00	31.22	124.88
4	रजमन शुल्क	34.81	97.43	125.00	59.80	47.84
5	पर्यवेक्षण शुल्क	5.51	4.69	10.00	3.97	39.70
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
7	विविध(रेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	2.25	3.21	10.00	2.76	27.60
8	विकास शुल्क/भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	112.55	71.28	130.00	91.89	70.68
9	अम्बार शुल्क	-6.52	5.60	15.00	0.77	5.13
10	फ्री-होल्ड शुल्क	3.99	17.83	10.00	3.10	31.00
11	हरिलोक अनुरक्षण	-3.72	0.70	0.50	1.38	276.00
(अ)	कुल राजस्व आय	**224.91**	**301.32**	**385.50**	**223.08**	**57.86**
(ब)	पूंजीगत आय					
1	ऋषिलोक योजना	3.38	2.80	1.00	2.47	247.00
2	शिवलोक	7.72	3.82	4.00	9.60	240.00
3	हरिलोक	47.33	17.46	15.00	18.71	124.73
4	श्यामलोक	30.26	128.31	25.00	40.21	160.84
5	बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	आश्रय योजना	0.00	3.04	4.00	2.27	56.75
8	गायत्री लोक	76.14	68.58	60.00	62.41	104.00
9	बी0एच0ई0एल0सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
10	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11	बी0एच0ई0एल0में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	2.99	1.88	3.00	1.84	61.33
13	डिपाजिट कार्यों अर्द्ध0 कु0मेला एवं विधायक निधि	0.71	412.53	150.00	54.28	36.18
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**168.53**	**638.42**	**2862.00**	**74.79**	**2.61**
	कुल आय (अ+ब)	**393.44**	**939.74**	**3247.50**	**297.87**	**9.17**
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठान	44.19	46.74	60.00	46.76	77.93
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	0.52	0.37	0.75	0.48	64.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.30	0.30	0.45	0.07	15.55
(iii)	दैनिक वेतन	2.84	0.00	2.00	0.00	0.00
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान					
	योग (अ)	**47.85**	**47.41**	**63.20**	**47.31**	**74.86**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्धि प्रतिशत में
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय	0.11	0.11	0.20	0.18	90.00
(ii)	स्टेशनरी	0.71	0.62	1.00	0.32	32.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	4.95	2.52	4.25	2.32	54.58
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.00	0.85	1.00	0.55	55.00
(v)	टेलीफोन	1.91	2.66	3.00	1.50	50.00
(vi)	पुस्तकालय	0.09	0.04	0.15	0.02	13.33
(vii)	कानूनी व्यय	0.73	1.93	5.00	1.21	24.20
(viii)	अतिथि सत्कार	0.81	0.53	1.00	0.16	16.00
(ix)	छपाई	0.17	0.48	0.50	0.01	2.00
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	6.33	0.38	0.50	0.03	6.00
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	0.00	1.48	20.00	2.16	10.80
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	4.08	1.25	3.00	2.96	98.66
(xiii)	विविध	0.80	0.63	1.00	0.88	88.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.35	0.23	0.50	0.00	0.00
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण	0.27	0.17	0.50	0.26	52.00
(xvii)	विवेकाधीन	0.06	0.05	0.25	0.05	20.00
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	2.15	0.36	0.50	1.10	220.00
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.10	0.08	1.00	0.29	29.00
	योग (ब)	23.62	14.37	43.55	14.00	32.14
3-	वाहन					
(i)	अनुरक्षण	1.25	1.53	1.50	1.32	88.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	7.84	7.04	7.50	4.42	58.93
	योग (स)	9.09	8.57	9.00	5.74	63.77
4-	कर्मचारी अग्रिम					
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	योग (द)	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
5-	मास्टर प्लान	25.72	4.20	15.00	0.00	0.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो0	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	योग (य)	30.72	4.20	30.00	0.00	0.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	111.28	74.55	149.75	67.05	44.77
	पूंजीगत व्यय					
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	6.24	1.45	7.25	0.00	0.00
2	कम्प्यूटर क्रय	0.19	1.00	2.00	0.00	0.00

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

क्र.	मद	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 27-01-05 तक वास्तविक	उपलब्धि प्रतिशत में
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.70	0.25	7.00	6.09	87.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	7.13	2.70	16.25	6.09	37.47
5	योजना भूमि क्रय					
(i)	नई योजना	0.00	182.14	1250.00	681.06	54.48
	योग (ब)	0.00	182.14	1250.00	681.06	54.48
6	योजना विकास/निर्माण कार्य					
(i)	शिवलोक	0.05	0.00	1.00	0.06	6.00
(ii)	श्यामलोक	0.66	0.00	10.00	8.00	80.00
(iii)	हरिलोक	3.56	2.02	2.00	0.00	0.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
(vi)	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.37	0.48	1.00	0.29	29.00
(viii)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	125.82	35.67	100.00	9.48	9.48
(1x)	गायत्रीलोक	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
(xi)	डिपाजिट कार्यो पर व्यय अ0कु0मेला एवं विधायक निधि आदि	310.31	808.06	475.00	240.53	50.63
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	0.00	10.00	6.05	60.50
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	0.00	80.00	2.23	2.78
(xv)	बी0एच0ई0एल0में पुनर्वास योजना	0.00	0.00	200.00	85.13	42.56
(xvi)	बी0एच0ई0एल0सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	400.00	1.00	0.25
(xvii)	बी0एच0ई0एल0 में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	250.00	0.50	0.20
	योग (स)	440.77	846.23	1814.00	353.27	19.47
	कुल योग पूंजीगत व्यय	447.90	1031.07	3080.25	1040.42	33.77
	सकल योग व्यय	559.18	1105.62	3230.00	1107.47	34.28
	अन्तिम अवशेष	-165.74	-165.88	17.50	-809.60	-25.11

भाग--(ब)
मद सं0--37(3)

विषयः--उत्तरांचल शासन औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं0--1345 /स--आ--वि/पी.एस. /2003 दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी कुल 159.50 एकड़ भूमि के विकास के सम्बन्ध में ।

1. 75 एकड़ भूमि जो बी0एच0ई0एल हाउसिंग सोसाइटी को उपलब्ध करायी गयी है, को हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कर बी0एच0ई0एल हाउसिंग सोसाइटी को उपलब्ध करायी जानी है। उक्त 75 एकड भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए ले--आउट प्लान तैयार कराया जा रहा है। ले--आउट प्लान तैयार होने के पश्चात् विकास हेतु का अनुमानित व्यय का आगणन तैयार कर विकास कार्य कराया जायेगा । इस योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान बी0एच0ई0एल0 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण को किया जायेगा ।

2. बी0एच0ई0एल0क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों हेतु पुनर्वास योजना हेतु 39.50 एकड़ भूमि का विकास कार्य भी हरिद्वार विकास प्राधिकरण को करना है तदोपरान्त उक्त भूमि बी0एच0ई0एल प्रशासन /जिला प्रशासन को हस्तान्तरित की जायेगी । इस योजना के विकास हेतु समस्त निविदायें स्वीकृत कर स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके है जिसमें भूमि समतलीकरण का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है योजना पर होने वाले व्यय रू0 218.62 लाख का विवरण निम्नवत है :--

(1) ड्रेसिंग, लेवलिंग (भूमि समतलीकरण) का कार्य	रू0 39.14 लाख
(2) बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	रू0 12.80 लाख
(3) सडकें एवं नाली निर्माण का कार्य	रू0 82.42 लाख
(4) जलापूर्ति हेतु	रू0 45.75 लाख
(5) विद्युत व्यवस्था हेतु	रू0 38.51 लाख

2. वाहन /मशीनरी आदि क्रय की मद में रू0 7.25 लाख का प्रस्तावित प्राविधान अधिक प्रतीत हो रहा है। इस पर उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में एक वाहन शीघ्र क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। वाहन में आवश्यक असेसिरीज सहित आवश्यक धनराशि तक ही व्यय किया जायेगा। तद्नुसार प्रस्तावित आय--व्ययक अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या--37(3) उत्तरांचल शासन औद्योगिक विकास विभाग के आदेश संख्या--1345/ सा--आ--वि/ पी0एस0/ 2005 दिनांक 4 दिसम्बर 2003 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गयी कुल 159.50 एकड़ भूमि के विकास के संबंध में।

(1) 75 एकड़ भूमि प्राधिकरण को बी0एच0ई0एल0 सहकारी समिति हेतु आवासीय कालोनी निर्माण हेतु मिली है जिसका प्राधिकरण द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में विकास किया जायेगा।

(2) बी0एच0ई0एल0 क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों को हटाकर पुनर्वास हेतु 39.50 एकड भूमि प्राधिकरण को मिली है। इस योजना पर प्राधिकरण द्वारा रू0 218.62 लाख की सीमा तक व्यय किये जायेंगें।

(3) उपरोक्त पुनर्वास योजना में होने वाले व्यय रू0 218.62 लाख की प्रतिपूर्ति हेतु बी0एच0ई0एल0 द्वारा प्राधिकरण को 45 एकड़ भूमि आवासीय कालोनी हेतु उपलब्ध करायी गयी है जिसपर प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना विकसित करेगा।

इन योजनाओं के संबंध में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं में आवश्यक विकास /निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जायें। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

सचिव

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष/आयुक्त

जलापूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य सम्बन्धित विभागों को सौंपा गया है तथा उन्हें लागत का 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जा चुका है।

3. अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास योजना के विकास पर होने वाले व्यय रू0 218.62 लाख की प्रतिपूर्ति हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 34.50 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है जिसका कब्जा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा इसका सर्वे का कार्य पूर्ण कराते हुए ले–आउट एवं डिमार्केशन का कार्य कराया जा रहा है। शेष 10.50 एकड़ भूमि सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर आवासीय योजना बनाई जायेगी ।

उपरोक्त तीनों योजनाओं का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(4)

विषयः– प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण ।

वर्तमान में प्राधिकरण में नीचे दर्शायें गयी तालिकानुसार अनिस्तारित सम्पत्तियॉ अवशेष हैं। इन सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विगत वर्षो से प्रत्येक वर्ष पंजीकरण खोला गया परन्तु अभी भी यह सम्पत्तियॉ अनिस्तारित हैं। इन सम्पत्तियों के विक्रय हेतु समय–समय पर विज्ञापन प्रचार–प्रसार के बाबजूद भी विक्रय नही हो पा रहे है व आवेदन प्राप्त नही हो पा रहे है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष इन सम्पत्तियों की लागत में 15 प्रतिशत ब्याज जोडकर निकाली गयी संशोधित लागत बाजार मूल्यों से अधिक हो गयी है। अतः प्रस्ताव है कि इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु वर्तमान लागत को बाजार मूल्यों के समान आरक्षित करते हुए समस्त सम्पत्तियों को नियमानुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाय।

मद संख्या–37(4) प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण ।

निर्णय हुआ कि यह भी देख लिया जाय कि अनिस्तारित सम्पत्तियों का न्यूनतम मूल्य = सर्किल रेट + विकास व्यय की धनराशि से कम न हो तदोपरान्त नियमानुसार नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–37(5) प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं में विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों में किस्तों में ब्याज घटाया जाना ।

भारतीय स्टेट बैंक की दरों से एक प्रतिशत अधिक दरों का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–37(6) प्राधिकरण की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में विचार ।

इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी। निर्णय हुआ कि प्रथम श्रेणी में प्रस्तावित 12 ऐसी निजी कालोनियां जिनका महायोजना में भू–उपयोग आवासीय है को प्राथमिकता पर एक माह के अन्दर गठित समिति द्वारा निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कर उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष/ आयुक्त के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। दूसरी श्रेणी जिनमें भू–उपयोग महायोजना के अनुसार आवासीय नहीं है तथा निजी भूमि, मेला भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि से संबंधित हैं, उनमें आवश्यक कार्यवाही दो माह के अन्दर पूर्ण कर स्थिति से अध्यक्ष/ आयुक्त को अवगत कराया जाय। इस समिति में सहयुक्त नियोजक, उ0प्र0 मेरठ के स्थान पर सहयुक्त नियोजक, गढवाल मण्डल (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तरांचल के प्रतिनिधि के रूप में) प्रतिस्थापित किया जाय तथा प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री सुनील प्रभाकर, ऋषिकेश एवं परगनाधिकारी, हरिद्वार को भी सम्मिलित किया जाय। इस संबंध में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों के नियमितीकरण विषयक जो प्रणाली अपनायी गयी है उसे भी समिति द्वारा देख लिया जाय।

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष/आयुक्त

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	निर्माण का वर्ष	मूल मूल्यांकन	वर्तमान मूल्यांकन	प्रस्तावित
1	श्यामलोक कालोनी में आश्रम भूखण्ड सं0–सी–2, क्षेत्रफल 633.20 वर्ग मी0	1997	12.30 लाख	31.10 लाख	25.50 लाख
2	श्यामलोक कालोनी में आवासीय भूखण्ड सं0–एम–21, क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी0	1997	03.40 लाख	07.95 लाख	06.50 लाख
3	शिवलोक योजना–2 में भवन सं0–ई. डबलू.एस.–19 बी	1989	00.43 लाख	01.54 लाख	क्रय हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ ।
4	हरिलोक योजना में 3 निर्मित दुकानें क्षेत्रफल 12.00 वर्गमी0	2001	02.50 लाख प्रति दुकान	04.00 लाख प्रति दुकान	03.00 लाख
5	हरिलोक योजना में 18 व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 17.50 वर्गमी0	2000	9000.00 प्रति वर्ग मी0	14270.00 प्रति वर्ग मी0	12000.00 प्रति वर्ग मी0
6	हरिलोक योजना में 4 दुर्बल आय वर्ग भवन	1996	00.63 लाख प्रति भवन	01.49 लाख प्रति भवन	01.00 लाख प्रति भवन
7	हरिलोक योजना में 1 अल्प आय वर्ग भवन प्रथम तल पर	1996	01.62 लाख	04.10 लाख	03.00 लाख

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(5)

विषयः– प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं में विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों में किस्तों में ब्याज दर घटाया जाना ।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के विक्रय हेतु किस्तों में 16 प्रतिशत तथा बिलम्ब से किस्तें जमा होने पर 18 से 21 प्रतिशत ब्याज आवंटियों से वर्ष 1988 से आज तक लिया जा रहा है। पिछले कई वर्षो से बाजार में हडको, विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज की दरों में अत्यधिक कमी की गयी है पंजाब नेशनल बैंक, सेण्ट्रल बैंक, ओरियन्अल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में आवासीय ऋण की वर्तमान अधिकतम दरें 8.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत तक है। इसप्रकार प्राधिकरण की ब्याज दरें अधिक है। परिणामस्वरूप हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भी सम्पत्तियों विक्रय करने हेतु ब्याज की दरों में कमी करनी होगी । अतः प्रस्ताव है कि इन सम्पत्तियों के लिए व नई एवं पुरानी समस्त योजनाओं में उपलब्ध रिक्त सम्पत्ति को विक्रय हेतु किस्तों में ब्याज की दरें भारतीय स्टेट बैंक की प्राथमिक ब्याज दर (प्राइम लैंडिग रेट) से 1 प्रतिशत अधिक दर लगायी जाय ताकि रिक्त /उपलब्ध सम्पत्ति का विक्रय /निस्तारण सुविधाजनक हो सके। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में प्राथमिक ब्याज दर 10.25 प्रतिशत है । इस प्रकार 10.25+1.00 कुल 11.25 प्रतिशत ब्याज दर किस्तों हेतु लागू किया जायेगा। जो सम्पत्ति विक्रय हो चुकी है उन मामलों में आवंटन पत्र के अनुसार सूचित ब्याज दर ही रहेगी । बिलम्ब से किस्तें जमा होने पर बिलम्ब अवधि हेतु देय राशि पर किस्तों में निर्धारित ब्याज दर आवासीय सम्पत्ति में 2 प्रतिशत तथा व्यावसायिक सम्पत्ति में 3 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल ब्याज लिया जायेगा । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(6)

विषयः– प्राधिकरण की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में विचार।

"प्राधिकरण की बैठक सं0–29 दिनांक 21–12–99 की मद सं0–16 में निम्नांकित प्रस्ताव था :– नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु समय–समय पर शासन द्वारा बल दिया जाता रहा है इस विषय में प्राधिकरण विकास क्षेत्र में किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30 अनाधिकृत कालोनियों विकसित है जिसमें से मात्र 11 कालोनियां ही महायोजना अनुसार आवासीय निर्मित क्षेत्रान्तर्गत है। अतः प्रथम चरण में केवल इन्हीं कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार उचित होगा। शेष कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार द्वितीय चरण में शासन स्तर से भू–उपयोग परिवर्तन अथवा हरिद्वार की भविष्य में संशोधित होने वाली महायोजना में समायोजन के पश्चात् किया जाना उचित होगा। उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित किये जाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में लागू नीति तथा मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नीति का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया गया है। जिसका तुलनात्मक विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है "।

उक्त बैठक में निम्नांकित निर्णय हुआ था :–

"नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु समय–समय पर शासन द्वारा बल दिया जाता रहा है इस विषय में प्राधिकरण विकास क्षेत्र में किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30 अनाधिकृत कालोनियों विकसित है उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित किये जाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में लागू नीति तथा मेरठ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नीति का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कराया गया है जिसका तुलनात्मक विवरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए हरिद्वार विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी । सम्यक् विचारोपरान्त हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों का जो प्रस्ताव तैयार कराया गया है उसका अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी । प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव एक समिति द्वारा तैयार किया जायेगा । जिसकी अध्यक्षता सचिव, ह0वि0प्रा0द्वारा की जायेगी जिसके सदस्य .अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हरिद्वार,.नगर नियोजक, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण,.वरिष्ठ लेखाधिकारी, हरिद्वार विकास

मद सं0–37(7)

विषयः– वीरपुर खुर्द ऋषिकेश में मै0 रिजेन्ट होटल प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत समूह आवास हेतु मानचित्र संख्या–38 / 2003–2004 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित स्थल ऋषिकेश महायोजना में भू–उपयोग 'कार्यालय' हेतु आरक्षित है। महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण बोर्ड सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू–उपयोग आवासीय, होटल, मोटल एवं काफिलो के लिये स्थान व्यवसायिक उपयोग इत्यादि है।

उत्तरांचल शासन के शहरी विकास / आवास अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 1858 /श0वि0/ आ0–3–135(आ)03 दिनांक 24.07.2003 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार कार्यालय से आवासीय उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित भू–परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट का 150 प्रतिशत की दर जमा कराने का प्राविधान है। चूँकि भू–उपयोग (कार्यालय) उच्च से निम्न (आवासीय) परिवर्तन का है अतः यदि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क वर्तमान भूमि की दर का 150 प्रतिशत लिया जाना है तो बोर्ड बैठक द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा जैसा कि ऋषिकेश महायोजना नियमावली के पृष्ठ सं0–50 व 51 पर बिन्दु (ब) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू–उपयोग–आवासीय ईकाई, होटल, मोटल एवं काफिलों के लिए स्थान व्यापारिक उपयोग, जलापूर्ति संस्थान, मल निस्तारण कार्य, गैस लगाने एवं गैस कार्य बस एवं ट्रक अड्डे सर्विस स्टेशन, किराये पर चलने वाले टैक्सी तथा स्कूटर का स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और यार्डस, हैलीपैड, सांस्कृतिक केन्द्र, पोलिटेक्निक एवं उच्च प्राविधिक संस्थान जिसमें मशीनों की आवश्यकता होती है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

–7–

मद संख्या–37(7) वीरपुर खुर्द ऋषिकेश में मै0 रिजेन्ट होटल प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत समूह आवास हेतु मानचित्र सं0–38 /2003–2004 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक, उत्तरांचल का मत था कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय। गैर सरकारी सदस्य श्री सुनील प्रभाकर व महन्त महेन्द्र सिंह तथा नगरपालिका परिषद ऋषिकेष द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व मे ही इस प्रकरण में काफी विलम्ब हो चुका है तथा शासन की पर्यटन नीति के प्रोत्साहन हेतु इस प्रकार के प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता पर निस्तारित किये जायें। उक्त के दृष्टिगत निर्णय हुआ कि आवेदक का मानचित्र स्वीकृत कर तद्नुसार शासन को अवगत करा दिया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या –37(8) ढालवाला *ऋषिकेश में मै0 जयप्रकाश एसोसिएटस लि0 द्वारा प्रस्तुत गेस्ट हाउस के शमन मानचित्र सं0–नो0ऋषि0–71 /2004–2005* का शमन किया जाना ।

प्रकरण की चर्चा में श्री बृज बी0 रतन, नगर नियोजक, उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि महायोजना में प्राधिकरण सभा इस प्रकार के प्रस्तावों हेतु बिना भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये अनुमोदन हेतु सक्षम हैं। अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमादित कर प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या–37(9) अर्द्धकुम्भ मेला–2004 के अन्तर्गत मेला बजट से निर्मित विद्युत केन्द्र एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि सन्दर्भित शासनादेश संख्या–320 दिनांक 5 फरवरी 2000 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के उचित निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, ह0वि0प्र0 सक्षम हैं अतः उपाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

सचिव　　उपाध्यक्ष　　अध्यक्ष / आयुक्त

मद सं0–37(8)

विषय : *ढालवाला ऋषिकेश में मै0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रस्तुत गैस्ट हाउस के शमन मानचित्र सं0–नो0 /ऋषि0/ 71 /2004–2005 का शमन किया जाना ।*

प्रस्तावित स्थल ऋषिकेश महायोजना में भू–उपयोग उद्योग–एम हेतु आरक्षित है। परन्तु प्राधिकरण की ऋषिकेश की महायोजना के पृष्ठ सं0–50 के बिन्दु (स) में प्राविधान है कि विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू–उपयोग अतिथि गृह, रेलवे माल गोदाम, स्वास्थ्य केन्द्र, क्लीनिक एवं समाज कल्याण केन्द्र इत्यादि की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। उत्तरांचल शासन के शहरी विकास /आवास अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–1858 /100वी /आ–3–135(आ) 03 दिनांक 24–7–2003 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत अतिथि गृह का स्वीकार्य भू–उपयोग पर्यटन होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नही है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(9)

विषयः– अर्द्धकुम्भ मेला–2004 के अन्तर्गत मेला बजट से निर्मित विद्युत केन्द्र एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण सम्बन्धी।

अर्द्धकुम्भ मेला–2004 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रोड़ीबेलवाला में सी.सी.आर. के निकट विद्युत केन्द्र का निर्माण मेला की व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्य कराया गया है इस निर्माण के विरूद्ध हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरांचल (उ0प्र0) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत अवैध निर्माण की कार्यवाही करते हुए नो0 /हरि0/180/2003–2004 अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद हरिद्वार के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया जो कि प्राधिकरण में विचाराधीन है। गंगा नदी से 200 मी0 के अन्दर एवं कुम्भ मेला हेतु आरक्षित भूमि पर स्थित है। इसी प्रकार विष्णुघाट पुल के नजदीक सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य भी कराया गया इस निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा नो0 /हरि0/198/2003–2004 परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण विभाग हरिद्वार को नोटिस जारी किया गया विचाराधीन है। जो गंगा नदी के 200 मीटर अन्तर्गत है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या–21552 /97 के सन्दर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने हेतु सचिव, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश सं0–2810 दिनांक 23–9–98 के अन्तर्गत नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 तक किसी प्रकार की गतिविधियॉं अनुमन्य न किये जाने के आदेश थे, परन्तु उ0प्र0शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधित करते हुए पुनः शासनादेश संख्या–320 दि0 5 फरवरी, 2000 को जारी करते हुए गंगा तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत निर्माणों के सन्दर्भ में प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रमों एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे निर्माण कार्यो के लिए शिथिल कर दिया गया । उक्त निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण में वाद विचाराधीन है।

विभाग द्वारा किये गये उक्त निर्मित विद्युत केन्द्र एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण उक्त अधिनियम की धारा 52 में छूट के अन्तर्गत नही आता है। चूँकि निर्माण सार्वजनिक हित में मेला प्रशासन की अनुमति से किये गये है जो कि समय–समय पर आयोजित मेलों के अवसरों पर आने वाली यात्रियों के लिये निर्मित अवस्थापन सुविधाएँ है। अतः प्रस्ताव है कि जनहित में सार्वजनिक स्थलों पर विशेष परिस्थितियों में निर्मित किये गये विद्युत केन्द्र एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के सम्बन्ध में अवैध निर्माण के लम्बित वादो के निस्तारण /नियमितीकरण हेतु शासन को सन्दर्भित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(10)

विषयः–अर्द्ध कुम्भ मेला–2004, हरिद्वार के व्यवस्थाओ के अन्तर्गत हरिद्वार में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में।

अर्द्ध कुम्भ मेला–2004, हरिद्वार के व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानो पर सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण नगर पालिका, परिषद, हरिद्वार द्वारा एजेन्सी के माध्यम से कराया गया है। इस निर्माण के विरूद्ध हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरांचल (उ0प्र0) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत अवैध निर्माण की कार्यवाही की गयी है, जिसमें से 2 वाद विचाराधीन है तथा 2 के विरूद्ध निर्माण ध्वस्त करने एवं 2 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या–21552 /97 के सन्दर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने हेतु सचिव, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश सं0–2810 दिनांक 23–9–98 के अन्तर्गत नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 तक किसी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न किये जाने के आदेश थे, परन्तु उ0प्र0शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधित करते हुए पुनः शासनादेश संख्या–320 दि0 5 फरवरी, 2000 को जारी करते हुए गंगा तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत निर्माणों के सन्दर्भ में प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रमों एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे निर्माण कार्यो के लिए शिथिल कर दिया गया ।

विभागों एवं एजेन्सी द्वारा किये गये निम्नलिखित सुलभ शौचालय के निर्माण उक्त अधिनियम की धारा 52 में छूट के अन्तर्गत नही आता है। चूँकि निर्माण सार्वजनिक हित में मेला प्रशासन की अनुमति से किये गये है जो कि समय–समय पर आयोजित मेलों के अवसरों पर आने वाली यात्रियों के लिये सुविधाजनक है। अतः प्रस्ताव है कि जनहित में सार्वजनिक स्थलों पर विशेष परिस्थितियों में निर्मित किये गये निम्नलिखित शौचालयों के सम्बन्ध में अवैध निर्माण के लम्बित वादो के निस्तारण /नियमितीकरण हेतु शासन को सन्दर्भित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–37(10)अर्द्धकुम्भ मेला–2004 हरिद्वार के व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हरिद्वार में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि सन्दर्भित शासनादेश संख्या–320 दिनांक 5 फरवरी 2000 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं के उचित निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, ह0वि0प्र0 सक्षम हैं अतः उपाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या–37(11)प्राधिकरण में सहायक लेखाधिकारी का एक पद सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव का प्रेषण ।

निर्णय हुआ कि सहायक लेखाधिकारी के पद सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय । प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या–37(12)अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से ।

(1) विद्युत शवदाह गृह में लम्बित विद्युत बिलों का भुगतान

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण लम्बित विद्युत बिलों का भूगतान नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा सका है तथा इस कारण संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है। जनहित में इसे कार्यशील करना आवश्यक है। विद्युत बिल की धनराशि लगभग रू0 7–8 लाख बतायी गयी है।। निर्णय हुआ कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से इस लम्बित बिल का भुगतान कर दिया जाय। तत्पश्चात विद्युत शवदाह गृह को चालू कराकर आगामी बिलों का भुगतान नगरपालिका द्वारा ही किया जाता रहेगा

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष/आयुक्त

क्र.	नोटिस संख्या	निर्माण एजेन्सी / विभाग का नाम	निर्माण स्थल	स्थल का भू–उपयोग	वर्तमान स्थिति
1	कन0 / 181 / 03–04	श्री राहुल प्रचार एडवरटाइजिंग लि0 द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	श्मशान घाट कनखल में शौचालय निर्माण कार्य ।	200 मी0 नदी तटीय	विचाराधीन
2	हरि0 / 146 / 03–04	श्री राहुल प्रचार एडवरटाइजिंग लि0 द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	हर की पैडी के निकट शौचालय निर्माण कार्य ।	200 मी0 नदी तटीय	अभियोजन के आदेश
3	हरि0 / 182 / 03–04	श्री राहुल प्रचार एडवरटाइजिंग लि0 द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	निकट बिरला घाट पर शौचालय निर्माण कार्य ।	200 मी0 नदी तटीय	दि0 30–6–2004 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित
4	हरि0 / 299 / 03–04	मै0 सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	निकट सिंहद्वार पर शौचालय निर्माण कार्य ।	सिंचाई विभाग की भूमि	दि0 3–8–2004 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित
5	हरि0 / 147 / 03–04	श्री राहुल प्रचार एडवरटाइजिंग लि0 द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	पन्तद्वीप पार्किंग के निकट शौचालय निर्माण कार्य ।	200 मी0 नदी तटीय / कुम्भ मेला लैण्ड	अभियोजन के आदेश
6	हरि0 / 71 / 04–05	श्री राजेन्द्र तिवारी सुरभि लोक संस्था द्वारा नगरपालिका हरिद्वार	निकट सी0सी0आर0 में शौचालय निर्माण कार्य ।	200 मी0 नदी तटीय / कुम्भ मेला लैण्ड	विचाराधीन

(2) हर की पैड़ी स्थित जनाना घाट हेतु अधिग्रहण आदि से संबंधित भुगतान

इस संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवमानना याचिका के अर्न्तगत रू0 5.00 लाख का भुगतान किया जाना है। निर्णय हुआ कि इसे नगर पालिका परिषद, हरिद्वार तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से आधा–आधा भुगतान जिलाधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) भल्ला कालेज स्थित आडीटोरियम की छत में साउन्ड प्रूफ व्यवस्था

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि इस आडीटोरियम में हाल के अन्दर आवाज गूंजती है जिसमें लगभग रू0 10.00 का व्यय अनुमानित है। निर्णय हुआ कि संबंधित निर्माण एजेन्सी का लगभग रू0 5.00 लाख का जो भुगतान रोका गया है उससे तथा अवशेष रू0 5.00 लाख नगर पालिका, हरिद्वार व हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा आधा–आधा व्यय कर नगर पालिका द्वारा ठीक करा दिया जाय।

(4) ज्वालापुर क्षेत्र में एक हाईमास्ट लाइट की स्थापना

निर्णय हुआ कि अवस्थापना विकास निधि से हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु रू0 2.50 लाख का भुगतान नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध करा दिया जाय।

(5) गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबन्ध संबंधी शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के संबंध में।

श्री सुनील प्रभाकर, गैर सरकारी सदस्य द्वारा उपरोक्त विषयक प्राधिकरण में लागू शासनादेश संख्या–320 दिनांक 5–2–2000 के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश व्यवहारिक नहीं है

सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष / आयुक्त

मद सं0–37(11)

विषयः प्राधिकरण में सहायक लेखाधिकारी का 1 पद सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषण ।

प्राधिकरण में वर्तमान में लेखा संवर्ग में मात्र एक मुख्य लेखाधिकारी, एक लेखाकार तथा एक रोकडिया का पद स्वीकृत है । वर्तमान में मुख्य लेखाधिकारी के पद पर डी0आर0डी0ए0 विभाग में तैनात मुख्य लेखाधिकारी द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में देखा जा रहा है। लेखाकार तथा रोकडिया प्राधिकरण सेवा के हैं। वर्तमान में प्राधिकरण में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं, वृहद कार्यकलापों एवं लेखाकार की पदोन्नति अवसर के दृष्टिगत प्राधिकरण में एक सहायक लेखाधिकारी वेतनमान रू0 6500–10500 के पद की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः उक्त पद सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–37(12)

अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से :

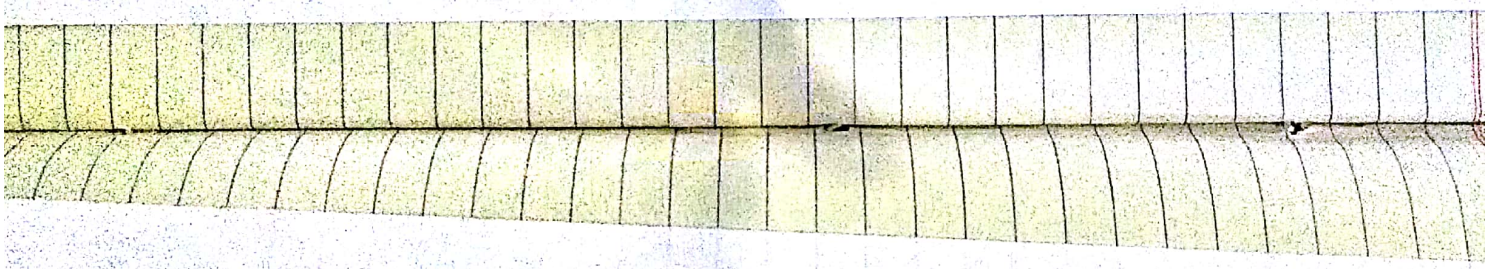

क्योंकि मुख्यतः हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आबादी गंगा नदी के किनारे बसी हुयी है। अतः निर्णय हुआ कि जन सामान्य की आवासीय समस्याओं के निस्तारण हेतु उक्त शासनादेश में लगी पाबन्दियों के संबंध में परीक्षण कर आवश्यक संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त करते हुये बैठक में अन्य उपस्थित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त की गयी।

सचिव

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष / आयुक्त